## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) श्रीगंगानगर

| कदमा | मुकदमा नम्बर 2020/00035 | दर्ज करने की दिनांक | अन्तर्गत धारा | गाम/तहसील का नाम |
|---|---|---|---|---|
| प्रा. पत्र ल | 21/2020 | 03-3-2020 | 88,188,91, 92 RTA | उएम |

| दिनांक | तादाद कागजात | | | विशेष विवरण | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ऐ | बी | योग | | |
| 30/11/2020 | | | | | |

वाद / प्रार्थना-पत्र / अपील का शीर्षक

क्षत्रसिंह बनाम मखनसिंह

सुभाषमित्तल एड. ( अभिभावक उपस्थिति ) एड. श्री तेजासिंह 1-2-9-3

17/3/2020
31-3-20
16/6/2020
20-7-20
14-8-20
09-9
28-9
29/10/2020
18-1
26-1
07-9

| तामील नोटिस | जवाब | साक्ष्य वादी/प्रार्थी | साक्ष्य प्रतिवादी/अप्रार्थी | बहस |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Scanned with CamScanner

प्रकरण सं0 .....अनवान.....

# Continuation Note Sheet

30.12. 2020

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए बहस में कथन किए कि वादी/अप्रार्थी द्वारा वाद में वासीयत के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा है। जबकि इस वसीयत का इंतकाल सन् 1977 में होकर रकबा पूर्व में ही वादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हो चुका है। चूंकि वादीगण को प्रकरण हाजा में वांछित अनुतोष पूर्व में ही प्राप्त हो चुका है। अतः वाद में वाद कारण का अभाव है। अतः वाद वादी खारिज किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने जवाब बहस में कथन किए कि प्रश्नगत आराजी से सम्बन्धित वसीयत एक रजिस्टर्ड वसीयत है, जो किले वाइज निष्पादित की गई है, जबकि इंतकाल किलेवाईज नहीं हआ है। प्रश्नगत आराजी में मुरब्बा नम्बर– 42 के किला नम्बर 1 ता 15 में वादीगण का कब्जा काश्त है। जिसमें दखलन्दाजी से रोकने हेतु मैंने दावा पेश किया है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त **2011(2) RRT 1433 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER, 2015(2) RRT 1268 SUPREME COURT** पेश किये।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया एवं सम्मानीय न्यायालयों के न्यायदृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया। आदेश 7 नियम 11 सी.पीसी के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु वाद पत्र के अभिवचनों के सही होने की अवधारणा कर निर्णय किया जाता है। वादी द्वारा वाद पत्र की चरण संख्या 8(क) में वसीयत के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा है। बहस उभयपक्ष द्वारा यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रताप कौर द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 17.06.1972 का जरिए नामान्तरकरण राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष उसे पूर्व में ही प्राप्त हो चुका है। वाद पत्र के अभिकथनों को समग्र रूप में पढ़ा जाता है। वादी द्वारा वाद पत्र में वांछित अनुतोष चूंकि उसे पूर्व में ही प्राप्त हो चुका है। अतः वाद में वाद कारण का अभाव है।

अप्रार्थी/वादी द्वारा बहस में यह कथन किए गए कि वसीयत का किलेवाइज नामान्तरकरण नहीं हुआ है। इसके लिए अप्रार्थी/वादी नामान्तरकरण को चुनौती दे सकता है अथवा खाता विभाजन का वाद ला सकता है।

प्रस्तुत प्रकरण में वाद कारण के अभाव में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 30.12.2020 को लिखाया जाकर अधिवक्तागण को बुलाकर सुनाया जाने के पश्चात् शामिल पत्रावली किया गया।

Noted 31/12

**उपखण्ड अधिकारी**
**श्रीगंगानगर**

Scanned with CamScanner